न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 180/2017

1. सुभाष पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी चक मनफुलसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. दौलतराम पुत्र स्व. श्री नानूराम जाति जाट साकिन चक मनफूलसिंहवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर
2. रणजीत उर्फ जीत सिंह पुत्र श्री दौलतराम जाति जाट निवासी चक मनफूलसिंहवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर
3. प्रवीण पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र उर्फ लीलाधर जाति जाट निवासी चक मनफूलसिंहवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर
4. दीपक पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र उर्फ लीलाधर जाति जाट निवासी चक मनफूलसिंहवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर
5. सरोज बेवा स्व. श्री सुरेन्द्र उर्फ लीलाधर जाति जाट निवासी चक मनफूलसिंहवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विरेन्द्र सिंहाग अधिवक्ता — वादी
2. श्री पवन शाक्य अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 5
3. पैरोकार राज — प्रतिवादी सं.6

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.12.17

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 एल एन पी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 2 ता 5 प्रत्येक सालम एवं किला नम्बर 1/1 में 0.013 है0 एवं किला नम्बर 10, 11 प्रत्येक में 0.038 है0 कुल 1.101 है0 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की संयुक्त खातेदारी है एवं इसी चक के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 22 ता 25 प्रत्येक सालम एवं किला नम्बर 19/2 में 0.202 है0 एवं किला नम्बर 20 व 21 में 0.038 है0 एवं मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1/2 में 0.025 है0 कुल 1.315 है0 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है।

चक 18 एल एन पी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 6 ता 9 और 12, 13 प्रत्येक सालम एवं किला नम्बर 14/1 में 0.126 है0 कुल 1.644 है0 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की मुश्तर्का खाता की है एवं इसी तरह इसी चक 18 एल एन पी के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 15 ता 19 एवं 22 ता 25 प्रत्येक की सालम एवं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

किला नम्बर 14/2 की 0.126 है0 भूमि कुल 2.403 है0 वादी की खातदारा है और इसी चक 18 एल एन पी की मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक सालम 6/2 की 0.126 है0 किला नम्बर 7 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 5.945 है0 प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी है और मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 3 ता 5 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 2/2 की 0.126 है0 कुल 0.885 है0 नहरी कृषि भूमि भी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी है।

चक 20 एल एन पी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 23 ता 25 की 0.719 है0 व किला नम्बर 16 ता 18 की 0.746 है0 एवं मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 3 व 4 में 0.506 है0 किला नम्बर 13 में 0.242 है0 दोनों मुरब्बों में कुल 2.429 है0 नहरी व बारानी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 की संयुक्त खातेदारी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 13 ता 18 एवं 23 ता 25 की कुल 1.960 है0 है। मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 3 ता 6 एवं 16 की कुल 1.076 है0 दोनो मुरब्बो में कुल 3.036 है0 बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त समस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जो एक ही परिवार के सदस्य हैं की पुरानी पुश्तैनी जदी जायदाद है जिसका घरेलू बंटवारा कर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्सा पर काबिज काश्त होकर खेती करवा रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 12 एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पिता व पति स्व. सुरेन्द्र उर्फ लीलाधर हकीकी भाई है और प्रतिवादी संख्या 2 इनलके पिता हैं। उपरोक्त कृषि भूमि का बंटवारा स्व. सुरेन्द्र उर्फ लीलाधर के जीवनकाल में ही हो गया था और इसी बंटवारा के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदारान अपने अपने हिस्से की भूमि काश्त कर रहा है। जो निम्न प्रकार से है– प्रतिवादीया संख्या 5 सरोज ने अपने हिस्सा की जमीन अपने हकीकी दोनों पुत्रों प्रतिवादी संख्या 3 व प्रवीण व दीपक के हक में छोड रखी है और उसने कोई भी कृषि भूमि अपने हिस्से की नहीं ली है ओर न ही उसका कोई कब्जा काश्त है। वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा निम्नानुसार कब्जा काश्त है जो उन्होंने अच्छा में अच्छज्ञ व माडा में से माडा बांट कर कम ज्यादा कर कजजा निम्न प्रकार से है–

(क) वादी सुभाष का हिस्सा–
चक 18 एल एन पी के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 2/2 का 0.126 है0 एवं किला नम्बर 3 ता 9, 12 ता 19 एवं किला नम्बर 22 ता 25 सालम सालम। चक 18 एल एन पी के मुरब्बा नम्बर 47 का किला नम्बर 25

(ख) प्रतिवादी सं.2 रणजीत उर्फ जीतसिंह का हिस्सा–
चक 20 एल एन पी के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 16 ता 18, 23 ता 25 की कुल 1.68 है0 एवं मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 3 ता 8 की 1.468 है0 एवं किला नम्बर 13 ता 18 एवं किला नम्बर 23 ता 25 की 2.202 है0

(ग) प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रवीण एवं दीपक का हिस्सा (बहिस्सा बराबर)–
चक 15 एल एन पी फस्ट के मुरब्बा नम्बर 12 का किला नम्बर 2 ता 5 सालम सालम एवं किला नम्बर 1 में 0.038 है0 किला नम्बर 10 व 11 प्रत्येक में 0.038 है0 कुल 1.126 है0
चक 15 एल एन पी फस्ट के मुरब्बा नम्बर 11 का किला नम्बर 19/2 का 0.202 है0 किला नम्बर 20, 21 प्रत्येक में 0.038 है0 एवं किला नम्बर 22 ता 25 सालम सालम कुल 1.290 है0
चक 18 एल एन पी के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1 ता 4 सालम सालम एवं किला नम्बर 6/2 का 0.126 है0 एवं किला नम्बर 7 ता 14 सालम सालम कुल 12.10 बीघा।

अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(घ) चक 18 एल एन पी के मुरब्बा नम्बर 47 का किला नम्बर 15 ता 24 साल सालम कुल 10 बीघा
चक 20 एल एन पी के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 3 का .228 है0 किला नम्बर 4/1 का 0.228 है0 किला नम्बर 5/1 में 0.202 है0 किला नम्बर 6 में 0.228 है0 एवं किला नम्बर 16 में 0.190 है0 कुल 1.076 है0

वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि घरेलू बंटवारा अनुसार व हक व हिस्सा अनुसार रकबा जिस जिस पक्षकार के हिस्से में आया है उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के लिए आप सक्षम अधिकारी के यहां सहमति के बयान कर दो ताकि सभी का खाता विभाजन हो जावे। पहले तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करते रहे फिर वाद पत्र पेश करने से 15 दिन पूर्व स्पष्ट इन्कार हो गये। बस सही बिनाय दावा है जो वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल हुआ है।

वादी के द्वारा निम्न प्रकार से डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

(क) घोषित किया जावे कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 वाद पत्र की मद संख्या 6 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है।

(ख) इसी अनुसार खाता तक्सीम किया जाकर लगान व आब्याना अलग अलग कायम किया जावे जिसकी पृविष्टि राजस्व रिकार्ड में भी की जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हक में हो।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। दिनांक 09.10.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन शाक्य वकालतनामा पेश कर हाजिर आये एवं स्टेट की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। दिनांक 24.10.2017 को वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे तस्दीक किया गया।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

चुँकि प्रकरण में वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकीयात नहीं बनाई गई। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र पेश नहीं किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुए प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है।

अतः पक्षकारान राजीनामा के अनुसार वर्णित कृषि भूमि के लिये खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

—:: आदेश ::—

वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डक्री किया जाकर

(क) वादी सुभाष का हिस्सा—
चक 18 एल एन पी के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 2/2 का 0.126 है0 एवं किला नम्बर 3 ता 9, 12 ता 19 एवं किला नम्बर 22 ता 25 सालम सालम। चक 18 एल एन पी के मुरब्बा नम्बर 47 का किला नम्बर 25 सालम कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

(ख) प्रतिवादी सं.2 रणजीत उर्फ जीतसिंह का हिस्सा—
चक 20 एल एन पी के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 16 ता 18, 23 ता 25 की कुल 1.468 है0 एवं मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 3 ता 8 की 1.468 है0 एवं किला नम्बर 13 ता 18 एवं किला नम्बर 23 ता 25 की 2.202 है0 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

(ग) प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रवीण एवं दीपक का हिस्सा (बहिस्सा बराबर)—
चक 15 एल एन पी फस्ट के मुरब्बा नम्बर 12 का किला नम्बर 2 ता 5 सालम सालम एवं किला नम्बर 1 में 0.038 है0 किला नम्बर 10 व 11 प्रत्येक में .038 है0 कुल 1.126 है0 कृषि भूमि, चक 15 एल एन पी फस्ट के मुरब्बा नम्बर 11 का किला नम्बर 19/2 का 0.202 है0 किला नम्बर 20, 21 प्रत्येक में 0.038 है0 एवं किला नम्बर 22 ता 25 सालम सालम कुल 1.290 है0 कृषि भूमि, चक 18 एल एन पी के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1 ता 4 सालम सालम एवं किला नम्बर 6/2 का 0.126 है0 एवं किला नम्बर 7 ता 14 सालम सालम कुल 12.10 बीघा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

(घ) प्रतिवादी संख्या 1 दौलत राम का हिस्सा—
चक 18 एल एन पी के मुरब्बा नम्बर 47 का किला नम्बर 15 ता 24 साल सालम कुल 10 बीघा, चक 20 एल एन पी के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 3 का 0.228 है0 किला नम्बर 4/1 का 0.228 है0 किला नम्बर 5/1 में 0.202 है0 किला नम्बर 6 में 0.228 है0 एवं किला नम्बर 16 में 0.190 है0 कुल 1.076 है0 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

द्वितीय पक्ष/प्रतिवादीयसा संख्या 5 सरोज ने अपने हिस्से की जमीन अपने हकीकी दोनों पुत्रों द्वितीय पक्ष/प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 प्रवीण व दीपक के हक में छोड रखी है और उसने कोई भी कृषि भूमि अपने हिस्से की नहीं ली है और न ही उसका कोई कब्जा काश्त है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम करे।

नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 04.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर